

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2019 /

भोपाल, दिनांक / 08 / 2019

// आदेश //

डॉ० इंदिरा गुप्ता, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय खरगोन को दिनांक 01/08/2019 से 15/09/2019 तक (Turkey and nepal) विदेश यात्रा की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. विदेश यात्रा के दौरान विदेश में कोई पदभार ग्रहण नहीं किया जावेगा, न ही कोई साक्षात्कार आदि में भाग लिया जायेगा।
2. विदेश में कोई प्रायवेट प्रेक्टिस आदि नहीं की जावेगी।
3. विदेश यात्रा पूर्णतः स्वयं के व्यय पर की जावेगी।
4. विदेश यात्रा पर जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी से यात्रा अवधि का अवकाश स्वीकृत कराना होगा।

उपरोक्त के संबंध में समस्त प्रकार के शासकीय नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

आयुक्त, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित-


— ६२७७ —  
(डॉ० कैलाश बुन्देला)  
अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

पृ०क० / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2019 / 1554

भोपाल, दिनांक 21/08/2019

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

- 01 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर म०प्र०।
- 02 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खरगोन मध्य प्रदेश।
- 03 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला खरगोन की ओर पत्र क्रमांक 1383 दिनांक 21/06/2019 के सन्दर्भ में।
- 04 डॉ० इंदिरा गुप्ता, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय जिला खरगोन मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।
- 05 प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

  
अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2019 /

भोपाल, दिनांक / 08 / 2019


// आदेश //

डॉ० ज्योति कुमार जैन, शल्यक्रिया विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल बैरागढ जिला भोपाल को दिनांक 28/08/2019 से 08/09/2019 तक (London and Nottingham) विदेश यात्रा की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. विदेश यात्रा के दौरान विदेश में कोई पदभार ग्रहण नहीं किया जावेगा, न ही कोई साक्षात्कार आदि में भाग लिया जायेगा।
2. विदेश में कोई प्रायवेट प्रेक्टिस आदि नहीं की जावेगी।
3. विदेश यात्रा पूर्णतः स्वयं के व्यय पर की जावेगी।
4. विदेश यात्रा पर जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी से यात्रा अवधि का अवकाश स्वीकृत कराना होगा।

उपरोक्त के संबंध में समस्त प्रकार के शासकीय नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

आयुक्त, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित-


  
(डॉ० कैलाश बुन्देला)  
अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

पृ०क० / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2019 / 1552

भोपाल, दिनांक 20/08/2019

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

- 01 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल म०प्र०।
- 02 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल मध्य प्रदेश।
- 03 अधीक्षक सिविल अस्पताल बैरागढ जिला भोपाल की ओर पत्र क्रमांक 2857 दिनांक 29/07/2019 के सन्दर्भ में।
- 04 डॉ० ज्योति कुमार जैन, शल्यक्रिया विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल बैरागढ जिला भोपाल मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।
- 05 प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

  
अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश